पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति तीसा में निम्नलिखित अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री मोहिंदर राज ठाकुर	01-04-2021 से 28-04-2021
2.	श्री मनीष चौधरी	10-05-2021 से 13-06-2021
3.	श्री अश्वनी कुमार	14-06-2021 से 03-10-2022
4.	श्री मुनीश कुमार	12-20-2022 से 20-05-2023
5	श्रीमती निशि महाजन	20-05-2023 से 31-03-2024

2. अध्यक्षा

क्रम. संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कौशल्या देवी	01-04-2021 से 31-03-2024

3. **सचिव**

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री कुलदीप कुमार	01-04-2021 से 30-05-2022
2.	श्री टेक चंद गुप्ता	01-06-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि (₹ लाखों में)**
01.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनुचित क्रय/भुगतान करने बारे।	8.2	3.29
02.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.16
03.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.16
04.	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाये गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/ कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	8.5	18.97
05.	निर्माण कार्यों के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुर्विनियोजन बारे।	9.3	0.43
06.	15वें वित्तायोग से संदिग्ध/गलत भुगतान/हस्तांतरण करने बारे।	9.5	0.16
07.	समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु स्टॉक रजिस्टर/रजिस्टरों का रख-रखाव न करने एवं रोकड़ बहियों का संधारण नियमानुसार न करने बारे।	10.1 10.2	-------

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01-07-2024 से 16-07-2024 तक पंचायत समिति तीसा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	10/2021	04/2021
2.	2022-2023	04/2022	03/2023
3.	2023-2024	03/2024	04/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 16-07-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

पंचायत समिति तीसा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2021 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान** पंचायत समिति तीसा, के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है । जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया: है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	576673.00	9264683.00	9841356.00	6028533.00	3812823.00
2022-23	3812823.00	1560667.00	5373490.00	3827672.00	1545818.00
2023-24	1545818.00	894116.00	2439934.00	1246650.00	1193284.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20212022	3022247.00	7122217.00	10144464.00	3165190.00	6979274.00
20222023	6979274.00	9536457.00	16515731.00	8645828.00	7869903.00
20232024	7869903.00	1250920.00	9120823.00	3061679.00	6059144.00

कुल योग (1+2) ₹1193284.00 + ₹6059144.00 = ₹7252428.00

(ब) पंचायत समिति तीसा, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र०सं०	**अनुदान का नाम**	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**राशि 31-03-24**
1.	15वां वित्तायोग	17710113175	HPSCB Bhanjraru	**5929326.00**
2.	BRGF	17710104530	HPSCB Bhanjraru	**0.00**
3.	RGSA	17710114416	HPSCB Bhanjraru	**3422.00**
4.	DPO/5th SFC/Own Sou.	17710103237	HPSCB Bhanjraru	**1227944.18**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹7160692.18**

अन्तर (अ-ब) ₹7252428.00 - ₹7160692.18 = ₹91735.82

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.92 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति तीसा, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है । जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹91735.82 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है । जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹60.59 लाख का अवरोधन :-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹6059144 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत समिति के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.68 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बन्धित समिति के खातों में जमा करवाया गया है।

पंचायत समिति तीसा के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा छ: दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणनुसार कुल राशि ₹68500/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2021-2022	37400	06	700/ 1200	48000	85400	39800	45600
2022-2023	45600	06	700/ 1200	48000	93600	42200	51400
2023-2024	51400	06	700/ 1200	48000	99400	30900	68500

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 16-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर समिति द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

पंचायत समिति तीसा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार समिति के पास कुल छः दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आबंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1.अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों/खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे कि बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया है एवं किरायेदारों के साथ किये गए अनुबंधों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पंचायत समिति की सम्पत्ति (दुकानों) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

4. समिति द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर पर नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि ₹68500/- वसूली हेतु शेष थी।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 06-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M (W,X) फॉर्म प्राप्त किये राशि ₹3.29 लाख का अनुचित क्रय/भुगतान बारे :

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर स्वर जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है इसके अतिरिक्त तीसा विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 7018 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी समस्त प्रधानों/सचिवों/सहायकों को रेत,बजरी तथा पत्थर की सम्बंधित ठेकदारों से रॉयल्टी कटाने एवं सरकार को भेजने के लिए आदेशित किया गया था।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति के अंतर्गत करवाए गए कार्यों हेतु संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार राशि ₹328645 का भुगतान प्रयुक्त रेत, बजरी व पत्थर का क्रय आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया जोकि न केवल उक्त सरकारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु बिना उक्त फॉर्मों के प्राप्त सामग्री से अवैध खनन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है तथा बिना फॉर्म प्राप्त किये सरकार को उक्त क्रय पर राशि ₹16263 की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत समिति सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, समिति द्वारा रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का क्रय W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथा शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस

अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.16 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति तीसा, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद की गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें ₹328645/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर बिलों पर आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST संख्या, बिल क्रमांक व दिनांक इत्यादि अंकित नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं, जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹15650 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 09-07-2024 द्वारा समिति के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युतर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत समिति को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि समिति द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की समिति स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.16 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

पंचायत समिति तीसा, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹810107/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹16202.14/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत समिति द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर व GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी

राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

पंचायत समिति तीसा की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्नविवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.15TH FC	कार्य: वाटर टैंक रिपेयर व पाईप लाइन विलेज डोंरी	100000	MB, Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34.etc
2. 15th FC	कार्य : खेल मैदान कपड़ूज	72000	
3. 15th FC	कार्य : सामुदायिक शौचालय प्रिया	289000	do
4. 15th FC	कार्य : पनिहार निर्माण मंडका-II	455719	Work Order and Technical sanction order,Format-34 .etc
5.15TH FC	कार्य : स्ट्रीट लाइट बौंदेड़ी	265336	Work Order and Technical sanction order,Format-34 .etc
6.15TH FC	कार्य : स्ट्रीट लाइट चूल्हा व	265336	Work Order and Technical

	नेरा		sanction order,Format-34 .etc
7.15th FC	कार्य : पनिहारा निर्माण मंगली	449219	Work Order and Technical sanction order,Format-34 .etc
	कुल योग	**₹1896610**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 09-07-2024 द्वारा सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो से सम्बंधित अभिलेख अभी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों का पंचायत में न पाया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा उक्त अभिलेखों का समिति में उपलब्ध न होना व अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना को न्यायोचित ठहराये जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.1 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹3.56 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान :-

पंचायत समिति तीसा, के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा 15वें वित्तायोग के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹356205 का भुगतान रेत, बजरी व पत्थर के क्रय व ढुलान व फर्नीचर क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद एवं परफ़ोर्मा बिल, गुड्स रसीद मात्र ही है जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त प्रॉपर/टैक्स बिल न होने के अभाव में यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन पर नियमानुसार अपेक्षित कर कटौती की गई है अथवा नहीं तथा इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलगन हैं।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के भुगतान करना संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों

सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.66 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु समिति के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति तीसा, द्वारा राशि ₹**65675**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, पंचायत समिति को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 09-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण

एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामग्री राशि ₹0.43 लाख का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे :-

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा निष्पादित कार्यों हेतु निम्नविवरणनुसार तालिका A व B अनुसार एवं संलग्न परिशिष्ट "8" अनुसार क्रय व कार्य में प्रयुक्त/खपत (माप पुस्तिका अनुसार) सामग्री में से शेष बची सामग्री राशि ₹42943.55 का न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

A. Name of Work: Panihar Nirmaan at Mangli GP Gadfari **Head 15th FC** **MB No.** 7155 **Page** 82-85								
Material/ Used/Bal.	**Steel 12mm**	**Steel 10mm**	**Angle 25x3**	**Angle 50x5x5**	**Angle 40x5x5**	**Sand**	**Agg.**	**Cement**
1.Purchase @ rate	190kg @52	70kg @54.9	70kg@ 66	360kg @66	260kg. @66	280cft @87.5	400 cft @87.5	77 Bags @436
2.Consumed as per MB	116kg	Nil	Nil	290.7kg	126kg	242cft	342	73 bags
3.Balance (1-2)	74kg @52 =3848	70kg @54.9 =3843	70kg @66 =4620	69.30kg @66 =4573.8	134kg @66 =8844	38cft@ 87.5 =3325	58 cft @87.5 =5075	04 Bags @436 =1744
	Total							**₹35872.80**

B. Name of Work: Panihar Nirmaan at Mandka GP Thalli Head 15th FC MB No.7155 Page 85-87			
Material/ Used/Balance	**Cement**	**Sand**	**Aggregate**
1.Purchase @ rate	77 Bags@436	500ft@75	200ft@75
2.Consumed as per MB	75 Bags @436	435ft@75	182.35ft@75
3.Balance (1-2)	02 Bags@436=872	65@75=4875	17.65ft@75=1323.75
		Total	**₹7070.75**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव व कनिष्ट अभियंता द्वारा बताया गया कि शेष व अनुपयुक्त सामग्री की राशि ₹42944 की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी जाएगी। अतः उक्त प्रकरण को ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा शेष/अनुपयुक्त सामग्री की प्रतिपूर्ति सम्बंधित कर्मचारी से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्री राशि ₹0.48 लाख का खपत विवरण माप पुस्तिका में दर्ज न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ख़) के अनुसार तीन लाख या इससे अधिक लागत के समस्त संकर्मों के लिए माप पुस्तिका में ब्यौरे वार माप दर्ज किये जाएंगे।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा निष्पादित कार्य हेतु संलगन **परिशिष्ट "8"** अनुसार राशि ₹47860 के स्टील, MS पाईप, चेनल, जाली इत्यादि का क्रय ग्राम पंचायत थल्ली के अंतर्गत मेंडका में पनिहार निर्माण हेतु

15वें वित्तायोग से करवाया गया है। परन्तु उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि मापन पुस्तिका में उक्त क्रय सामान की खपत इसमें दर्ज नहीं की गई है। जोकि उक्त नियम के प्रतिकूल प्रतीत होता है। उक्त संकर्म में कनिष्ट अभियन्ता द्वारा उक्त क्रय सामग्री की न तो कोई ब्यौरे वार माप प्रविष्टि दर्शाई गई और न ही उक्त सामान की खपत दर्शाई गई थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के समक्ष लाया गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव व कनिष्ट अभियंता द्वारा बताया गया कि, उक्त क्रय सामग्री को माप पुस्तिका में गलत/अधूरी प्रविष्ट की गई है इस पुनः अभिलिखित, रिकोर्ड करके व इसका खपत विवरण तैयार कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। चूँकि किसी भी संकर्म के भुगतान से पूर्व माप पुस्तिका में उसका मापन किया जाना आवश्यक है तदोपरांत उसका भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त अनियमिता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये एवं तथ्यों सहित न्योचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.16 लाख का संदिग्ध/गलत भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-6 नियम 47 (1)(2)** के अनुसार पंचायत निधि के प्रत्येक संदाय/भुगतानों को लेखों के उचित वर्गीकरण और पूरी व सही विशिष्टियां बताने वाले वाउचर द्वारा समर्थित किया जायेगा एवं भुगतान के सभी दावे यथासम्भव बिलों पर पेश किये जायेंगे।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 15वें वित्तायोग से वाउचर संख्या निल दिनांक 28-04-2021 रोकड़बही पृष्ठ संख्या 282 राशि 15600 का भुगतान मैं० गुरबक्स एंड संस के खाते में किया गया जबकि बिल मैं० जितेंदर कुमार (रेत 260ft@60) संलग्न है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के समक्ष लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि गलत खाते में हस्तांतरित राशि की समिति स्तर पर जाँच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक जाँच प्रणाली सुदृढ़ नहीं है जिस

कारण उक्त गलत भुगतान किया हुआ प्रतीत होता है। अतः उक्त मामले में तथ्यों सहित वस्तुगत स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त भुगतान की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाए जाये इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार कनिष्ट अभियंता की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य हेतु क्रय स्टील की खपत माप पुस्तिका में नहीं दर्शाई गई थी तथा अन्य सामग्री हेतु माप पुस्तिका में कनिष्ठ अभियंता द्वारा जो खपत विवरण तैयार किया गया था उसमें खपत फैक्टर नहीं दर्शाए गए थे जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 15-07-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत लेसवीं को हस्तांतरित राशि ₹3.60 लाख के करवाए गए कार्य के उपियोगिता प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा ग्राम पंचायत लेसवीं को वाउचर संख्या निल दिनांक 28-03-2023 (रोकड़बही पृष्ठ संख्या 82) राशि ₹360000 का हस्तांतरण किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर, उपियोगिता प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए

जिससे कि उक्त राशि की व्यय की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, उक्त हस्तांतरित राशि से सम्बन्धित अभिलेखों को सम्बन्धित पंचायत से प्राप्त कर लिए जायेगा। अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है अत: उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.8 पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी किराया राशि ₹2.44 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(2)10/2004-05-H दिनांक 07-09-2021 के द्वारा पंचायत समिति निधि में से समिति के अध्यक्ष को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु निधि की उपलब्धतता के अधीन महीने में अधिकतम 1000 किलोमीटर तक टैक्सी किराया दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति की अध्यक्षा को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु महिंद्रा बोलेरो टैक्सी किराये पर ली गई थी जिसके एवज में राशि ₹244250 का भुगतान दिनांक 10-03-2023 को मैं० चमेली देवी को किया गया था। आगे अंकेक्षण के अवलोकन में यह पाया गया कि, वाहन की लॉग बुक व अन्य अभिलेखों में कटिंग व ओवरराइटिंग की गई थी एवं यात्रा का उद्देश्य, निरीक्षण किये गये विकास कार्यों का विवरण नहीं दिया गया है जिससे कि यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो यात्रा दर्शाई गई थी केवल अधिकारिक थी तथा उन स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु ही की गई। इसके अतिरिक्त यात्रा में जो दूरी दर्शाई गई है उसमें अत्यधिक कटिंग की गई है जिससे कि अभिलेख में किसी प्रकार की अनधिकृत प्रविष्टि की सम्भावना को भी नकारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बार-बार आग्रह करने के उपरान्त भी पंचायत समिति का बजट प्राक्कलन को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया

जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त व्यय वर्णित दिशा-निर्देशों (निधि की उपलब्धता) के अंतर्गत ही किया गया है अथवा नहीं ?

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, इस मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.9 सरकार द्वारा खान-पान हेतु निर्धारित दरों से अधिक दरों से भुगतान करने के कारण राशि ₹1750 का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या PCH-HA(S)C(15) Hospatility/ ZP/PS दिनांक 14-10-2013 के अंतर्गत पंचायत समिति की बैठकों में वर्किंग लंच ₹175 प्रति प्रतिभागी तथा टी व सनेक्स ₹40 प्रति प्रतिभागी के हिसाब से दरें निर्धारित की गई थी।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा उक्त पत्र में निर्धारित दरों से अधिक दरों से भुगतान करने के कारण स्व-स्त्रोत (सभा निधि) से निम्नविवरनुसार राशि ₹1750 का अधिक भुगतान किया गया।

Vr. No./ Date	Material	Qty./rate actual paid	Qty. /Rate should be paid	Excess Paid	Amount
Nil/ 26-03-23	Lunch & Tea,Sancks	70@180 70@50	70@175 70@40	70@5=350 70@10=700	1050
Nil/ 18-01-24	Tea & Sancks	70@50	70@40	70@10=700	700
				Total	**₹1750**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 15-07-2024 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, राशि की प्रतिपूर्ति करके जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त अधिक किये गए व्यय

को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.10 पंचायत समिति द्वारा भुगतानों में वाउचर संख्या आवंटित किये बिना भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी भी भुगतान को लेखों का उचित वर्गीकरण और पूरी विशिष्टियां बताने वाले वाउचर द्वारा समर्थित किया जायेगा।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा व्यय, दावों के भुगतान के समय कोई भी वाउचर संख्या आवंटित नहीं की गई थी और न ही यह बिल रजिस्टर में प्रविष्ट किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियम के प्रतिकूल है अपितु इससे दोहरे भुगतान की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 15-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में नियमानुसार वाउचर संख्या आवंटित/अंकित कर ली जाएगी।

10.1 समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु स्टॉक रजिस्टर/रजिस्टरों का रख-रखाव न करने ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति उपरान्त उसकी स्टॉक रजिस्टर में तुरंत इन्द्राज एवं नियम 72 के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु भार-साधक अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव निर्धारित प्रारूपों (क से घ) में किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा समय-समय पर जो स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था उसे इन्द्राज करने हेतु कोई भी स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विन्योजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

इस गंभीर अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 15-07-2024 द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित

किया कि, पंचायत समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक को इन्द्राज नही किया जा रहा है इस सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

क्रय स्टॉक/स्टॉक का समिति में रिकोर्ड न पाया जाना आपत्तिजनक व संदिग्ध है। अत: मामले में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथा शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति तीसा, के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु समिति द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत समिति द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 15-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत समिति के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

पंचायत समिति तीसा, के नमूना अंकेक्षण में पंचायत समिति द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, समिति के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 द्वारा समिति सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे DPO 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, समिति के स्वः-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के <u>**नियम 29 से 31**</u> व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के <u>**नियम 34**</u> के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं

3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा । अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु पंचायत समिति तीसा, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 09-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना

से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमितितायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

05 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05/9/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

4437 – 4440 का0/60

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 161/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।
4. (पंजीकृत) खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05/9/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

का0/90

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of Panchayat Smiti Tissa for the Year 2021-2022 To 2023-2024

1. Own Source (3rd/5th SFC, DPO etc.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	576673.00	9264683.00	9841356.00	6028533.00	3812823.00
2022-23	3812823.00	1560667.00	5373490.00	3827672.00	1545818.00
2023-24	1545818.00	894116.00	2439934.00	1246650.00	1193284.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	3022247.00	7122217.00	10144464.00	3165190.00	6979274.00
2022-23	6979274.00	9536457.00	16515731.00	8645828.00	7869903.00
2023-24	7869903.00	1250920.00	9120823.00	3061679.00	6059144.00

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत समिति तीसा में उपरोक्त विवरण अनुसार कुल तीन रोकड़बहियों का संधारण किया जा रहा है ।

(1+2)	Closing balance as per Cash Book as on 31-03-2024 (1193284+ 6059144)	7252428.00
	Closing balance as per Bank Passbooks as on 31-03-2024	7160692.18
	Net Difference (Less in Bank Pass book)	**91735.82**

Checked

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

कार्यालय पंचायत समिति तीसा,विकास खंड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2021 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 01-04-2021	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	17710113175	HPSCB Bhanjraru	**2310901.00**	**5929326.00**
2.	BRGF	17710104530	HPSCB Bhanjraru	**689602.00**	**0.00**
3.	RGSA	17710114416	HPSCB Bhanjraru	**0.00**	**3422.00**
4.	DPO/3rd/5th SFC/Own Source. etc.	17710103237	HPSCB Bhanjraru	**512333.18**	**1227944.18**
		689602.00	Cash In hand	**0.00**	**0.00**
			TOTAL	**3512836.18**	**7160692.18**

Remarks: BRGF account has been closed on dated 16-08-2022 and RGSA Account opened on dated 17-09-2021

प्रमाणित किया जाता है कि, पंचायत समिति तीसा, में दिंनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 04 तक वर्णित बैंक खाते ही खोले गए हैं इसके अतिरिक्त कोई भी खाता पंचायत समिति ने नहीं खुलवाया है।

Income Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2021-2022

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	Loan Recoupment	15TH FC	BRGF	TOTAL
April	11200.00			4548852.00	4053964.00		8614016.00
May							
June	2100.00	595700.00			1192153.00		1789953.00
July	700.00		420000.00				420700.00
August	7600.00	320122.00			10725.00		338447.00
September						10699.00	10699.00
October	**74637.00**	296000.00	252000.00		1854676.00		2477313.00
November							
December	7600.00						7600.00
January							
February	2800.00	454022.00	252000.00	2017250.00			2726072.00
March	2100.00						2100.00
TOTAL	**108737.00**	**1665844.00**	**924000.00**	**6566102.00**	**7111518.00**	**10699.00**	**16386900.00**

Expenditure Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2021-2022

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	Loan Recoupment	15TH FC	BRGF	TOTAL
April	**1280.00**	**953849.00**			**246755.00**		**1201884.00**
May		84935.00					**84935.00**
June	22158.00	372364.00			116938.00		**511460.00**
July		68060.00	282500.00		479226.00		**829786.00**
August	5880.00	275173.00	137500.00		100000.00		**518553.00**
September		43708.00			10725.00		**54433.00**
October	11718.00	43600.00	252000.00		100000.00	522045.00	**929363.00**
November	22402.00	120975.00			74992.00		**218369.00**
December	2457.00	283450.00			63656.00	75000.00	**424563.00**
January	21981.00	115375.00		2017250.00	386966.00		**2541572.00**
February	9907.00	332836.00			341737.00		**684480.00**
March	26604.00	520571.00			647150.00		**1194325.00**
TOTAL	**124387.00**	**3214896.00**	**672000.00**	**2017250.00**	**2568145.00**	**597045.00**	**9193723.00**

Remarks : for the purpose of month Selection Loan amount recoupment and paid are excluded so month for Highest Expenditure april 2021 has been taken.

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Income Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	15TH FC	RGSA	BRGF	TOTAL
April	**72392.00**	25005.00	168000.00		190000.00	2963.00	**458360.00**
May				120647.00			**120647.00**
June	1700.00	2910.00	84000.00				**88610.00**
July							
August	18300.00		310500.00	2406711.00		919.00	**2736430.00**
September							
October							
November	39960.00		310500.00	1755386.00	2114.00		**2107960.00**
December	2800.00			1909092.00			**1911892.00**
January	5000.00		207000.00				**212000.00**
February							
March	2100.00		310500.00	3148625.00			**3461225.00**
TOTAL	**142252.00**	**27915.00**	**1390500.00**	**9340461.00**	**192114.00**	**3882.00**	**11097124.00**

Expenditure Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	15TH FC	RGSA	BRGF	TOTAL
April		550949.00	420000.00	1071972.00	189270.00		**2232191.00**
May		1425993.00		139480.00		74756.00	**1640229.00**
June	31799.00			476982.00			**508781.00**
July	400.00		394500.00	811310.00			**1206210.00**
August	13111.00			229836.00		54126.00	**297073.00**
September	7562.00	118376.00		646534.00			**772472.00**
October				260420.00			**260420.00**
November	28338.00		310500.00	950202.00			**1289040.00**
December	21737.00			904408.00			**926145.00**
January	15062.00		207000.00	738171.00			**960233.00**
February	7562.00			17112.00			**24674.00**
March	**8996.00**	**265787.00**		**2081249.00**			**2356032.00**
TOTAL	**134567.00**	**2361105.00**	**1332000.00**	**8327676.00**	**189270.00**	**128882.00**	**12473500.00**

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Income Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	15TH FC	RGSA	TOTAL
April	8400.00			88602.00	46.00	**97048.00**
May	23783.00					**23783.00**
June			103500.00			**103500.00**
July	9213.00		337500.00			**346713.00**
August						
September						
October				97481.00		**97481.00**
November			337500.00			**337500.00**
December						
January	18797.00					**18797.00**
February						
March	**55423.00**			1064791.00		**1120214.00**
TOTAL	**115616.00**		**778500.00**	**1250874.00**	**46.00**	**2145036.00**

Expenditure Statement of Panchayat Smiti Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	DPO	3rd/5th SFC	15TH FC	RGSA	TOTAL
April	**7562.00**		**310500.00**	**813984.00**		**1132046.00**
May				82548.00		**82548.00**
June	34674.00		103500.00	160295.00		**298469.00**
July	24785.00		337500.00	227704.00		**589989.00**
August	8124.00			101271.00		**109395.00**
September				218641.00		**218641.00**
October	14150.00			401752.00		**415902.00**
November	29326.00		337500.00	645493.00		**1012319.00**
December	11781.00			343151.00		**354932.00**
January	19124.00					**19124.00**
February						
March	8124.00			66840.00		**74964.00**
TOTAL	**157650.00**		**1089000.00**	**3061679.00**		**4308329.00**

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

		परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित					
Financial Position Grants in Aids of Panchayat Smiti Tissa for the Year to 2021-2022 To 2023-2024							
Sr.No	**Particulars**	**Year**	**Opening**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing**
1	BRGF	2021-22	711346.00	10699.00	722045.00	597045.00	125000.00
		2022-23	125000.00	3882.00	128882.00	128882.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	15TH FC	2021-22	2310901.00	7111518.00	9422419.00	2568145.00	6854274.00
		2022-23	6854274.00	9340461.00	16194735.00	8327676.00	7867059.00
		2023-24	7867059.00	1250874.00	9117933.00	3061679.00	6056254.00
3	RGSA	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-23	0.00	192114.00	192114.00	189270.00	2844.00
		2023-24	2844.00	46.00	2890.00	0.00	2890.00

Checked

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट - "3"

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या १.2 में संदर्भित)

Sr. No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier Detail	Amount	Remarks
1.15th FC	Nil/ 28-04-21	Sand	260ft@60	M/S Jitender Kumar VPO Devikothi, Chamba	15600	**Quotations**
2.Own Source	Nil/ 26-03-23	Lunch & Tea	70@180 70@50	M/S Churah Valley Restrorant,Tissa	16100	**Quotations**
3.Own Source	Nil/ 18-01-24	Lunch & Tea	55@150 70@50	M/S Naveen Thakur, Tissa Chamba	11000	**Quotations**
4.Own Source	Nil/ 10-01-23	Lunch & Tea	65@175 65@40	M/S Churah Valley Restrorant,Tissa	13975	**Quotations**
5.Own Source	Nil/ 19-02-21	Lunch ,Tea & Biscuit	60@135 60@10 10@30	M/S Hoshiyaru Devi Canteen, Tissa	9000	**Quotations**
				Total	**65675**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O PANCHAYAT SMITI TISSA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "W,X" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2021 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Jitender Kumar	15th FC	Nil	Sand	7.36	11.78	15600	60	706.56	14857.14	742.86
	PO Devikothi, Chamba		28-04-2021						0.00	0.00	0.00
2	M/S Yog Raj Mahajan	15th FC	Nil	Sand	14.16	22.66	37500	80	1812.48	35714.29	1785.71
	VPO Bhanjrarau, Chamba		01-03-2023	Aggre.	2.83	5.49	7500	80	439.22	7142.86	357.14
3	M/S Kuldeep Singh	15th FC	Nil	Aggre.	11.32	21.96	35000	80	1756.86	33333.33	1666.67
	PO Thalli, Churah		25-04-2023	Sand	7.92	12.67	24500	80	1013.76	23333.33	1166.67
4	M/S Yog Raj Mahajan	15th FC	Nil	Aggre.	5.67	11.00	15000	80	879.98	14285.71	714.29
	VPO Bhanjrarau, Chamba		27-04-2023	Sand	14.16	22.66	37500	80	1812.48	35714.29	1785.71
5	M/S Devi Singh	15th FC	Nil	Sand	7.92	12.67	19600	80	1013.76	18666.67	933.33
	PO Kalhel, Tissa Chamba		07-11-2023			0.00			0.00	0.00	0.00
6	M/S Chain Singh	15th FC	NIL	Sand	5.67	9.07	16000	80	725.76	15238.10	761.90
	PO Dugli, Chamba		16-11-2023	Aggre.	8.49	13.58	30000	80	1086.72	28571.43	1428.57
7	M/S Moti Ram	15th FC	Nil	Stone	10	22.40	10000	80	1792.00	9523.81	476.19
	PO Saikothi, Chamba		16-11-2023						0.00	0.00	0.00
9	M/S Bebinder Singh	15th FC	NIL	Sand	8.75	14.00	24720	80	1120.00	23542.86	1177.14
	PO Thalli, Churah		16-10-2023	Aggre.	2.74	5.32	8245	80	425.25	7852.38	392.62
10	M/S Laxman Singh	15th FC	Nil	Sand	3.62	5.79	14080	80	463.36	13409.52	670.48
	PO Tarela, Chamba		16-11-2023	Aggre.	2.4	4.66	10200	80	372.48	9714.29	485.71
11	M/S Suresh Kumar	15th FC	NIL	Sand	4.53	7.25	16000	80	579.84	15238.10	761.90
	PO Kohal, Tissa Chamba		28-11-2023	Aggre.	1.69	3.28	7200	80	262.29	6857.14	342.86
						TOTAL	328645		16262.80	312995.24	15649.76

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor

2 **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³ Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 **B. From Cubic Meter (M^{3}) to Tonne**

One Cubic Meter (M^{3}) Sand	**1.60**
One Cubic Meter (M^{3}) Aggregate N	**1.94**
One Cubic Meter (M^{3}) Aggregate	**1.46**
One Cubic Meter (M^{3}) Stone	**2.24**

4 All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

34

परिशिष्ट "5" पैरा संख्या 7.1 में सन्दर्भित

क्रमांक	दुकानदार का नाम व पता	दुकानों की संख्या	मासिक किराया	गत शेष	बर्ष 2021-22 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशि	शेष बकाया राशि
1	श्री रमेश कुमार	1	700		8400	8400	8400	NIL
2	श्री हेम राज	1	700		8400	8400	8400	NIL
3	श्री राम दयाल	1	700		8400	8400	8400	NIL
4	श्री मति होशियारू देवी	2	1200	10800	14400	25200	14600	10600
5	गुरुदियाल	1	700	26600	8400	35000	0	35000
	कुल योग	**6**	**4000**	**37400**	**48000**	**85400**	**39800**	**45600**

क्रमांक	दुकानदार का नाम व पता	दुकानों की संख्या	मासिक किराया	गत शेष	बर्ष 2022-23 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशि	शेष बकाया राशि
1	श्री रमेश कुमार	1	700		8400	8400	8400	NIL
2	श्री हेम राज	1	700		8400	8400	8400	NIL
3	श्री राम दयाल	1	700		8400	8400	8400	NIL
4	श्री मति होशियारू देवी	2	1200	10600	14400	25000	12000	13000
5	गुरुदियाल	1	700	35000	8400	43400	5000	38400
	कुल योग	**6**	**4000**	**45600**	**48000**	**93600**	**42200**	**51400**

क्रमांक	दुकानदार का नाम व पता	दुकानों की संख्या	मासिक किराया	गत शेष	बर्ष 2023-24 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशि	शेष बकाया राशि
1	श्री रमेश कुमार	1	700		8400	8400	8400	NIL
2	श्री हेम राज	1	700		8400	8400	4200	4200
3	श्री राम दयाल	1	700		8400	8400	6300	2100
4	श्री मति होशियारू देवी	2	1200	13000	14400	27400	12000	15400
5	गुरुदियाल	1	700	38400	8400	46800	NIL	46800
	कुल योग	**6**	**4000**	**51400**	**48000**	**99400**	**30900**	**68500**

35

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Panchayat Smiti Tissa, Chamba H.P.							
SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	Nil/17-03-2023	15th FC	M/S Himurja Chamba	LED 12 Watt Street Lights 34@15608	530672.00	10613.44	GST Act 2017 Sec. 51 A
2	Nil/05-07-2021	15th FC	M/S Janam Singh, Chamba	Carrige of sand, stone, Cement	31950.00	639.00	IT Act Section 194C
3	NIL/05-07-2021	15TH FC	M/S Hari Lal PO Thaneikothi, Chamba	Carrige of sand, stone, Cement	45600.00	912.00	IT Act Section 194C
4	Nil/16-11-2023	15th FC	M/S Chain Singh Thakur PO Dugli Chamba	Carrige of sand, Agg, Cement etc.	53500.00	1070.00	IT Act Section 194C
5	Nil/16-11-2023	15th FC	M/S Moti Ram PO Saikothi Chamba	Carrige of sand, Agg, Cement etc.	66500.00	1330.00	IT Act Section 194C
6	Nil/16-10-2023	15th FC	M/S Bebinder Singh PO Thalli, Chamba	Carrige of sand, Agg, Cement etc.	47015.00	940.30	IT Act Section 194C
7	Nil/16-11-2023	15th FC	M/S Laxman Singh PO Traila, Chamba	Sand,Agg, Steel Carrige	34870.00	697.40	IT Act Section 194C
				TOTAL	810107.00	16202.14	

सचिव
पंचायत समिति तीसा

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 9.1 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o PS Tissa, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	Nil/28-04-2021	15TH FC	M/S Jatinder Kumar VPO Devikothi, Chamba	Sand 260ft@60	15600.00
2	Nil/06-05-2021	5th SFC	M/S Chaman Furniture Bhnajrarau, Chamba	10 Libraray Bench @7160	71660.00
3	Nil/01-03-2023	15TH FC	M/S Yog Raj Mahajan VPO Bhanjrarau	Sand 500ft@75 Agg. 200ft@75	52500.00
4	Nil/05-07-2021	15th FC	M/S Janam Singh, Chamba	Carrige of sand, stone, Cement	31950.00
5	NIL/05-07-2021	15TH FC	M/S Hari Lal PO Thaneikothi , Chamba	Carrige of sand, stone, Cement	45600.00
6	Nil/07-11-2023	15th FC	M/S Devi Singh PO Kalhel	Carrige of sand, stone, Cement	25380.00
7	Nil/16-11-2023	15th FC	M/S Moti Ram PO Saikothi Chamba	Carrige of sand, Agg, Cement etc.	66500.00
8	Nil/16-10-2023	15th FC	M/S Bebinder Singh PO Thalli, Chamba	Carrige of sand, Agg, Cement etc.	47015.00
				Total	₹356205

सचिव
ग्राम पंचायत तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ड" (1+2) पैरा संख्या 9.3 व 9.4 में सन्दर्भित

Name of Work : Panihara Nirmaan at Mangli GP Gadfari PS Leswin Head 15th FC MB No.7155 Page 82-85									
Sanctioned amount Rs. 449219									
Item No. & Nomenclature	Quantitity As per MB			Quantity Purchased		Quantity not used or in MB			
	Qty.	Total Qty.	Rate	By supplier	By labour	Cement	Sand	Agg	Steel
(i) Dry Stone masonary	48.96	56.7936	200.45	0	57m3				
(ii) P/L CC 1:3:6	11.10					48.84	5.217	9.879	
(iii) Cutting in earth work	130.41								
(iv) P/L CC 1:2:4	1.29		800.65			8.256	0.54825	1.1481	1.161
(v) 20mm thick C. Palster 1:4	91.85					15.6145	2.2044		
				77 Bags		**72.7105**	**7.96965**	**11.0271**	
(vi) Steel Angle Work 50x50x5	76.50rmt	290.70kg	6600	360kg		69.30kg			
40x5x5	42rmt	126kg	6600	260kg		134kg			
(vii) Roof	32m3								
(viii) Celling	19.5m3								
(ix) Stone Collection by Labour	57m3								
(x) Stone carrige by Labour	37m3								

Material or quantity not used or measured in MB

Sr. No	Item Description	Rate	Amount
1	Steel 12 MM = 0.74qtl	5200	3848
2	Steel 10 MM = 0.70 qtl	5490	3843
3	Steel Angle 25x3 = 0.70qtl.	6600	4620
4	Steel Angle 50x5x5 = 69.30 kg	6600	4573.8
5	Steel Angle 40x5x5 = 134kg	6600	8844
		A	**25728.8**
6	Cement Bags 4 bags	436	1744
7	Sand Purchsed 280 at Site 242	87.5	3325
8	Agg. Purchsed 400 at site 342	87.5	5075
		B	**10144**
		A+B	**35872.8**

Remarks 12MM Steel quntity 1.90 -1.16 = 0.74

Junior Engineer
Dev.Block Tissa

परिशिष्ट '5'(2/2) पैरा संख्या 1.3 व 1.4 में सम्बन्धित

Name of Work : Panihara Nirmaan at Mandka GP Thalli PS Leswin Head 15th FC MB No.7155 Page 85-87								
Sanctioned amount Rs. 455719								
Item No. & Nomenclature	**Quantitity As per MB**			**Quantity Purchased**		**Quantity not used or in MB**		
	Qty.	Total Qty.	Rate	By supplie	By labour	Cement	Sand	Agg
(i) RR Stone masonary 1:6 CM	29.87	40.9219	729.6	0		49.2855	9.58827	
(ii) Dry RR Stone Masonary	20.73	24.0468	200.45					
(iii) P/L CC 1:3:6	5.81		432.95			25.564	2.7307	5.1709
(iv) Steel Work Roofing	64.08							
(v) Stone Collection by labour	56							
Total material Consumed		**64.9687**		**17**	**56**	**74.85**	**12.32**	**5.17**
Material Purchesed & Collected		**56m3**				**77 Bags**	**14.16m3**	**5.67m3**
Balance Quantity		**-9**				**2 Bags**	**1.84m3**	**0.50m3**

Material or quantity not used or measured in MB

Sr. No	Item Description	Rate	Amount
1	J Hook 01 = 15kg	160	
2	Sheet 12" 24 pcs	2600	
3	Steel Angle 35x5 = 3.51 qtl.	6600	
4	Steel Angle 50x5x5 = 4.50 qtl.	6600	
5	Steel Angle 25x3 = 1.56 qtl.	6600	
6	Steel Angle 40 x5 = 0.80 qtl.	6600	
7	Steel Flat 20x5 = 0.50 qtl.	6600	
8	MS Pipe = 3 pcs.	3500	
9	Channel 75 x40 = 1.20kg	8500	
10	Jali 4" = 70kg	100	
	A	**47860**	**0**
6	Cement Bags 2 bags	436	872
7	Sand Purchsed 500ft@75	2652.25	4906.663
8	Agg. Purchased 200ft@75	2645.50	1322.75
		B	**7101.413**
		A+B	**7101.413**

Remarks Steel work roofing 64.08m2 *22kg

Junior Engineer
Dev.Block Tissa

सहायक अभियंता
(वि. ख.)

161